परेशानी | बारिश शुरू होते ही बिजली कटौती का सिलसिला तेज हो जाता है

बिजली की आंख-मिचौली से लोग परेशान

नवभारत,जबलपुर। लगातार हो रही बारिश के बीच शहर के पॉश इलाके नेपियर टाउन, रसल चौक और गोरखपुर में बिजली की आंख-मिचौली से लोग खासे परेशान हैं। दिन और रात में बार-बार बिजली गुल होने से घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का काम प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। नागरिकों का कहना है कि बारिश शुरू होते ही बिजली कटौती का सिलसिला तेज हो जाता है। बार-बार बिजली आने-जाने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने का खतरा बना रहता है, वहीं उमस के बीच लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों और छोटे कारोबारियों का कहना है कि अनियमित बिजली आपूर्ति से उनका काम भी प्रभावित हो रहा है।

दूर हो ख़ामियाँ

रहवासियों ने बिजली वितरण कंपनी से बारिश के मौसम में विद्युत आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाने और तकनीकी खामियों को शीघ्र दूर करने की मांग की है। उनका कहना है कि शहर के प्रमुख और पॉश इलाकों में भी यदि ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो आम नागरिकों की परेशानी और बढ़ेगी। लोगों ने फॉल्ट होने पर त्वरित मरम्मत और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है।

कम दहेज का ताना, बाइक, 50 हजार की डिमांड कर दी प्रताड़ना

नवभारत, जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत गुरू मोहल्ला निवासी एक महिला को शादी के दो वर्ष बाद से ससुराल पक्ष प्रताड़ित करते हुए कम दहेज मिलने का ताना मारने लगा। बाइक और 50 हजार रूपए की डिमांड कर आए दिन प्रताड़ित करने लगा जिससे तंग आकर अब पीडिता ने थाने पहुंचकर पति, सास, ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को रेखा अहिरवार 24 वर्ष निवासी गुरू मोहल्ला पाटन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका मायका ग्राम समदपुरा बेलखेड़ा है उसकी शादी दिनांक 12 मई 2020 को सामाजिक रीति रिवाज से गुरू मोहल्ला पाटन निवासी रवि अहिरवार के साथ हुई है जिससे उसके 2 बेटे हैं शादी में उसके माता पिता ने अपनी सामर्थता अनुसार गृहस्थी का सामान, सोने चांदी के जेवर दिये थे शादी के लगभग 2 वर्ष बाद से पति रवि अहिरवार, सास ललिता बाई, ससुर छोटेलाल शादी में कम दहेज मिलने की बात को लेकर उसके शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे । पति एवं सास, ससुर मायके से मोटर सायकल एवं 50 हजार रूपये मांग करने लगे, उसने मना किया तो उससे विवाद कर मारपीट की जाने लगी थी।

कट्टा अड़ाकर लूट करने वाले तीन लुटेरे पकड़ाए

नवभारत, जबलपुर। घमापुर पुलिस ने कट्टा अड़ाकर लूट करने वाले तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से छीनी हुई एक्सिस, घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकिल कट्टा एवं एक कारतूस जप्त की गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष जाखड़ ने बताया कि 18 जुलाई को घमापुर थाने में धर्मपाल सिंह राजपूत 56 वर्ष निवासी ग्रीन सिटी माढ़ोताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह आटो चलाता है करिया पाथर मरघटाई खारी विसर्जन कार्यक्रम में आया था। काली मंदिर मरघटाई के पास मोटर सायकल में 3 लड़कों ने उसे घेर लिया था। एक लड़के ने देशी कट्टा निकालकर उसे अड़ा दिया तथा अन्य लड़कों ने उससे छीना झपटी किये। एक लड़का उसकी स्कूटी एक्सिस क्रमांक एमपी 20 जेड बी 2684 छीनकर भाग गए थे। नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर उदयभान बागरी के मार्गनिर्देशन में थाना प्रभारी घमापुर प्रवीण कुमरे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। क्लू मिलते ही राम मंदिर के पास स्थित मैदान में दबिश देर कर साहित सेन, पिता विष्णु सेन 19 वर्ष निवासी शीतला माई एवं राज सोनकर पिता धर्मेन्द्र सोनकर 21 वर्ष निवासी खटीक मोहल्लाको पकड़ा गया। दोनों ने अपने साथी सम्मान रैकवार के साथ मिलकर लूट करना स्वीकार

किए। छीनी हुई एक्सिस सम्मान रैकवार के पास होना बताया। सम्मान रैकवार की तलाश की जो घर पर नहीं मिला। टेस्टिंग रोड़ जवाहर स्कूल के पीछे ग्राउण्ड में घेराबंदी कर सम्मान रैकवार पिता अनिल रैकवार 19 वर्ष निवासी हनुमानताल को दबोचा गया। जिसके कब्जे से कटटा, एक कारतूस जब्त किया गया। सम्मान रैकवार ने पूछताछ पर अपने साथी साहिल एवं राज सोनकर के साथ मिलकर एक्सिस छीनना स्वीकार करते हुये छीनी हुई एक्सिस को टेस्टिंग रोड स्थित खण्डर भवन में छिपाकर रखना बताया। एक्सिस, बाइक को भी जब्त किया गया।

सम्मान पर 21, साहिल पर 3 अपराध दर्ज

उल्लेखनीय है कि पकड़ा गया आरोपी सम्मान रैकवार आपराधिक प्रवृति का है जिसके खिलाफ पूर्व से लूट, अवैध वसूली, मारपीट, चोरी, 5 विस्फोटक अधिनियम व आर्म्स एक्ट आदि के 21 अपराध दर्ज हैं। इसी प्रकार साहिल सेन के खिलाफ हत्या का प्रयास, मारपीट के 3 अपराध दर्ज है।

एक नजर में

गवाही नहीं देने बनाया दबाव, दुष्कर्म पीड़िता मां को धमकाया

नवभारत, जबलपुर। अधारताल में एक रेपिस्ट ने गवाही न देने का दबाव बनाते हुए दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक युवती प्राइवेट जॉब करती है। सूरज पेशवानी निवासी धनी की कुटिया काली मंदिर के पास ने शादी का झांसा देकर उसके दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 69 ,308(2),115(2),351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण में उसकी गवाही न्यायालय में चल रही है। बीती रात आठ बजे सूरज पेशवानी उसके घर के गेट के सामने आकर हंगामा किया और उसकी मां को गवाही देने से मना करने लगा। उसने विरोध किया तो सूरज ने उसे एवं उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसके मोबाईल नंबर में कई नंबरों से फोन कर परेशान कर रहा है।

बिना विभागीय जांच सेवा समाप्त नहीं की जा सकती : हाईकोर्ट

नवभारत,जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने सिवनी जिले की सेवा सहकारी समिति समनापुर के पूर्व प्रबंधक रमेश कुमार शरणागत की याचिका का निराकरण करते हुए उन्हें 15 दिन के भीतर नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभ्यावेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर नियमानुसार निर्णय लें। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुघोष भामोरे, निशांत मिश्रा ने दलील दी कि महज आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के आधार पर बिना विभागीय जांच किए सेवा समाप्त कर दी गई, जबकि सहकारी समिति के नियमों में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय संजय चौहान बनाम मध्य प्रदेश शासन का हवाला देते हुए विभागीय जांच को अनिवार्य बताया। कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर अंतिम टिप्पणी किए बिना कहा कि यदि याचिकाकर्ता पूर्व निर्णय की प्रति के साथ नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है तो सक्षम प्राधिकारी उस पर विधि के अनुसार विचार कर निर्णय लें। इसके साथ ही रिट याचिका का निराकरण कर दिया गया।

36 घंटे में मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

नवभारत, जबलपुर। जीआरपी मदनमहल ने गंभीर मारपीट के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 36 घंटे के भीतर आरोपी धनेश सेन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 19 जुलाई की देर रात मदनमहल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास फरियादी राकेश कुमार वर्मा से पुराने विवाद को लेकर आरोपी की कहासुनी हुई। आरोप है कि धनेश सेन ने रेलवे लाइन किनारे पड़ा धारदार बका जैसा हथियार उठाकर राकेश के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल परीक्षण में सिर में गंभीर चोट की पुष्टि हुई। इस संबंध में जीआरपी ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल पुलिस अधीक्षक सुन्दर सिंह कनेश के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी की तलाश शुरू की। सूचना मिलने पर 21 जुलाई को मुंबई भागने की फिराक में स्टेशन पहुंचे आरोपी धनेश सेन को दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त खून लगा लकड़ी का पटिया भी बरामद किया है। त्वरित कार्रवाई और 36 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी पर रेल पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की।

फायर मैन बनकर विधानसभा पहुंचे विधायक अभिलाष

नवभारत,जबलपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है, सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में फायर सेफ्टी एक्ट लाया जा रहा है। पिछले लंबे समय से सदन में फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर अपनी बात रख रहे जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय ने मंगलवार को फायरमैन के गेट अप में विधानसभा में प्रवेश करके फायर सेफ्टी एक्ट लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं लोगों को भी फायर सेफ्टी एक्ट के विषय में जागरूक रहने की अपील की। विदित हो कि फायर सेफ्टी एक्ट केवल एक कानून होने के साथ यह लोगों की जिंदगी बचाने का संकल्प है। यह एक्ट व्यापारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को एक सुरक्षित वातावरण देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

इस दौरान विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 25 फरवरी 2026 को मैंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से मध्यप्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया था। आज यह हम सभी के लिए बेहद खुशी और संतोष का विषय है कि मध्यप्रदेश की

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार इस महत्वपूर्ण एक्ट को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

जबलपुर सहित पूरा महाकौशल है व्यापारिक केंद्र

जबलपुर विधानसभा सहित पूरा महाकौशल क्षेत्र एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, जहां हजारों व्यापारी, कर्मचारी और आम नागरिक रोजाना अपने काम के लिए आते-जाते हैं। यहां अनेक बड़े-छोटे प्रतिष्ठान हैं, जहां सुरक्षा की दृष्टि से फायर सेफ्टी के मजबूत इंतजाम होना बेहद जरूरी है। दुर्भाग्यवश अतीत में कुछ स्थानों पर हुई अग्नि दुर्घटनाओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

घर पर पथराव, दरवाजे, छत की शीट टूटी

नवभारत, जबलपुर। हनुमानताल थाना अंतर्गत झंडा चौक में बदमाशों ने जमकर उपद्रव मचाया। एक घर में पथराव करते हुए तोड़फोड़ कर दी। हमले में दरवाजे, छत की सीट टूट गई। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रोहित भट्ट निवासी प्रेमसागर झंडा चौक का फर्नीचर का काम करता है। बीती रात 10 बजे वे काम करके घर वापस आया। दरवाजे के सामने अपनी मोटर साईकिल गाड़ी खड़ी किया उसी समय मोहल्ले का रहने वाला साहिल कोल उसे बुलाने आया और कहने लगा कि साहिल सोनकर बुला रहा है उसी समय रोहित की माँ चंदा बाई उसे घर के अंदर ले गई। इसी बात को लेकर साहिल कोल, शिवा बेन, गुल्ली कोल एवं साहिल सोनकर उसके घर के सामने आये और हंगामा करते हुए घर में ईटा पत्थर मारने लगे जिससे उसके घर के दरवाजे एवं छत की सीमेन्ट की सीट टूट गई इसके बाद चारों कह रहे थे कि अगर रिपोर्ट करेगा तो जान से मार डालेंगे।

नशे से दूरी पर ड्राईंग,निबंध प्रतियोगिता, दिलाई

नवभारत, जबलपुर। नशे से दूरी, है जरूरी पंद्रह दिवसीय नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत मंगलवार को स्कूली बच्चों को नशे से दूरी, है जरूरी विषय पर जागरूक करते हुये आयोजित की गयी ड्राईंग, निबंध प्रतियोगिता, के साथ शपथ दिलाई गई। ओमती थाना अंतर्गत क्राइस्ट चर्च स्कूल जबलपुर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमे थाना ओमती पुलिस द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव एवं नशा ना करने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया एवं शपथ दिलाई गई। स्कूल छात्र छात्राओं के द्वारा नशा से जागरूकता संबंधी विविध आकर्षक चित्रकला बनाई गई। संजीवनी नगर अंतर्गत चौतन्य टेक्नो स्कूल धनवंतरी नगर में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमे स्कूल के लगभग 1000 छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण शामिल हुए। जिसमे स्कूल के छात्रों के द्वारा नशे से सम्बंधित ड्रॉइंग एवं पेंटिंग तथा निबन्ध लेखन किया गया। चरगवॉ में अभियान के तहत ग्राम कोहला मे पंपलेट वितरित करते हुये ग्रामीणजनों को जागरूक किया गया। सिविल लाईन अंतर्गत शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल पचपेड़ी में जाकर बच्चों को नशा नशा संबंधी होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई तथा नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई जिसमें लगभग 150 बच्चे उपस्थित थे । तिलवारा, बेलखेडा, मझगवां, बरगी, पाटन, गढ़ा, सिहोरा, माढोताल, कोतवाली थाना क्षेत्र में नशा मुक्त अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार आम जनता को यह सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पक्षकार श्री तरूण सक्सैना पिता स्वर्गीय श्री विजय शंकर सक्सैना एवं श्रीमती शिल्पी गुप्ता पिता स्वर्गीय श्री विजय शंकर सक्सैना द्वारा आवासीय उपयोग की संपत्ति एक आवासीय संपत्ति मौजा-बैतला, न.ब.-52, पटवारी हल्का नंबर 22, शास्त्री वार्ड नंबर 6, जबलपुर, तहसील-अधारताल और जिला-जबलपुर में स्थित खसरा नंबर 189/2 का हिस्सा नामांतरण उपरांत खसरा नं. 189/2/16/2, कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट है । उक्त संपत्ति भूमिस्वामी श्री तरूण सक्सैना पिता स्वर्गीय श्री विजय शंकर सक्सैना एवं श्रीमती शिल्पी गुप्ता पिता स्वर्गीय श्री विजय शंकर सक्सैना को अपनी माता-पिता श्रीमती मीरादेवी सक्सेना पति श्री बिजय शंकर सक्सेना की मृत्यु पश्चात् प्राप्त हुई है। उक्त संपत्ति भूमिस्वामी श्रीमती मीरादेवी सक्सेना पति श्री विजय शंकर सक्सेना ने श्री जगमोहन यादव पिता श्री छेदीलाल यादव से विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1982, दस्तावेज क्रमांक-5612 के माध्यम से क्रय किया है। यह कि श्री तरूण सक्सैना पिता स्वर्गीय श्री विजय शंकर सक्सैना एवं श्रीमती शिल्पी गुप्ता पिता स्वर्गीय श्री विजय शंकर सक्सैना मेरे पक्षकार Capri Global Capital Ltd (CGCL) / Capri Global Housing Finance Ltd. (CGHFL) से ऋण प्राप्त करना चाहता है, जिसकी सुरक्षा हेतु श्री तरूण सक्सैना पिता स्वर्गीय श्री विजय शंकर सक्सैना एवं श्रीमती शिल्पी गुप्ता पिता स्वर्गीय श्री विजय शंकर सक्सैना द्वारा उक्त संपत्ति बैंक में बंधक की जा रही है। चूँकि उक्त सम्पत्ति पर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1982, दस्तावेज क्रमांक-5612 को बैंक में जमा कर साम्यिक बंधक किया जा रहा है।, अत: उक्त संपत्ति या संपत्ति के बंधक के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो अथवा किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो वह प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के अन्दर मेरे पक्षकार Capri Global Capital Ltd (CGCL) / Capri Global Housing Finance Ltd. (CGHFL) को अथवा मेरे कार्यालय में लिखित रूप में मय दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, समय उपरांत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

जबलपुर
दिनांक :- 21/07/2026

भवदीय
राजेश प्यारी एडवोकेट
319, गली नं. 05, त्रिमूर्ति नगर,
दमोहनाका जबलपुर
मो.-9424320068

बेदखलीनामा/सार्वजनिक सूचना

यह सर्वसाधारण, समस्त रिश्तेदारों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं आम जनता को विधिवत सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सरोज धूरिया पति स्व. देवी प्रसाद उर्फ मुन्नालाल धूरिया निवासी 1735, आगा चौक, उजारपुरवा नई बस्ती कस्तूरबा गांधी वार्ड, जबलपुर आधार नं. 7872 4757 3854 अपनी समस्त स्व-अर्जित चल एवं अचल संपत्ति की एकमात्र वैध स्वामी/स्वामिनी एवं अधिकारधारी हूँ।

मेरा पुत्र रोशन प्रसाद धूरिया पिता स्व. देवी प्रसाद धूरिया उर्फ मुन्नालाल धूरिया एवं पुत्र वधु श्रीमती श्रृद्धा धूरिया पति रोशन प्रसाद धूरिया दोनों निवासी श्रीमती सरोज धूरिया पति स्व. देवी प्रसाद उर्फ मुन्नालाल धूरिया निवासी 1735, आगा चौक, उजारपुरवा नई बस्ती कस्तूरबा गांधी वार्ड, जबलपुर आधार नं. 8271 2452 3013 एवं पुत्रवधु का पता महाराजपुर जबलपुर आधार नं. 9935 7333 0283 द्वारा निरंतर दुर्व्यवहार, अवज्ञा, पारिवारिक कर्तव्यों की अवहेलना एवं मेरे हितों के प्रतिकूल आचरण किए जाने के कारण, मैं आज दिनांक 21/07/2026 से उसे अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति, धन-संपत्ति, बैंक जमा, निवेश, व्यवसाय, उत्तराधिकार एवं अन्य किसी भी प्रकार के अधिकार, हित एवं दावे से पूर्णत: बेदखल एवं त्याग करती हूँ।

अत: उक्त पुत्र/पुत्र वधु का मेरी किसी भी संपत्ति में वर्तमान अथवा भविष्य में कोई अधिकार, हिस्सा, दावा, उत्तराधिकार या स्वामित्व नहीं रहेगा तथा उसका कोई भी दावा विधि अनुसार अमान्य एवं शून्य माना जाएगा।

साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऋण, उधार, लेन-देन, गारंटी, समझौता, अनुबंध या वित्तीय/कानूनी दायित्व लेता/लेती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी। उसके किसी भी कृत्य, कर्ज, देनदारी या दायित्व के लिए मैं या मेरा परिवार किसी भी प्रकार से उत्तरदायी या बाध्य नहीं होंगे।

अत: सभी बैंक, वित्तीय संस्थान एवं आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि उक्त व्यक्ति से किसी भी प्रकार का लेन-देन पूर्णत: अपने जोखिम पर करें।

यह सूचना भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद/दावे से बचाव हेतु जारी की जा रही है।

दिनांक : 21.07.2026
स्थान : जबलपुर

श्रीमती सरोज धूरिया
मोबाइल : 9752569182

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को विलयल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नही बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री क्रांति लाल पटेल क्रांति लाला पटेल, श्रीमती सरिता पटेल (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10856157)	यूनिट नंबर NE 30/104, पहली मंजिल, आवासीय टाउनशिप कटनी, EWS, खसरा नंबर 1548/4 और 1560/1-5 खिरहानी, प्रेम नगर 483501. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति का प्रकार: विक्रय योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल 323.00, 323.00	रुपये 166356.57/- (रु. एक लाख छियासठ हजार तीन सौ छप्पन और पैसा सत्तावन मात्र)	16/03/2026	17-07-2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 249, द इनफिनिटी, प्रथम तल, एम.पी. नगर, जोन-2, तुलसी होटल के पास, भोपाल-462011 या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- जबलपुर
दिनांक : 22-7-2026

प्रा. अधिकारी
कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

पश्चिम मध्य रेल

सामग्री प्रबंधन विभाग

(भंडार आपूर्ति हेतु ई- निविदा सूचना, संख्या/ईपीएस/20/2026)

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम रेल भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदाएं आमंत्रित करते है। कोई भी हस्तालिखित/डाक प्रस्ताव स्वीकार नही किए जाएंगे। पूर्ण विवरण/विनिर्देशन के लिए वेबसाईट https://ireps.gov.in पर 'ई' निविदा संबधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

क्र.	टेंडर नं.	संक्षिप्त वर्णन	निविदा मात्रा	नियत तारीख
1	81255995	मैनुफेक्चर एंड सप्लाई of मेटल Liners 60 kg for use with ERC	706821 Nos	23/07/2026
2	8125WCRTP -20A	मैनुफेक्चर एंड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल/आइसोलेटेड प्रे-टेन्सिओनेड प्रे-स्टेस्ड कंक्रीट (PSC) स्लीपर्स	21506.94 मीटर	04/08/2026
3	30261640	कंट्रोल आर्म असेंबली लेफ्ट कन्सिसटिंग ऑफ 02 (TWO) आइटम्स	1476 Sets,	05/08/2026
4	30261048	डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉरबेर फॉर वर्टीकल एप्लीकेशन	2251 नंबर्स	12/08/2026
5	38262317	एडाप्टर (NARROW JAW) क्लास 'E' 6"X11" TO RDSO'S DRG.	121762 नंबर्स	13/08/2026
6	30261044B	वेयरिंग पीस फॉर साइड Bearer to Drg, No.-T-0-5-649, Alt.-18 & 'I'(small L)	2617 नंबर्स	18/08/2026
7	30261165B	ड्यूल फ्लश वाल्व साइज: 32 MM, बॉडी width 75 to 80 mm, बॉडी Length 145	5076.00 नंबर्स	26/08/2026
8	30261351	रबर बफर स्प्रिंग फॉर 1225 KGM कैपेसिटी (एच सेट कन्सिसटिंग ऑफ 4)	2354 सेट	27/08/2026
9	65255014A	सप्लाई ऑफ 03 Nos. Turbo चरगेद ट्रक (काव्ल चेसी)	03 नंबर्स	31/08/2026
10	30261218	सेट ऑफ HYTREL UPPER एंड लोअर वॉशर फॉरं	359 set	01/09/2026

50 लाख रूपये से कम अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के लिए इच्छुक फर्मो को www.ireps.gov.in पर जाने की सलाह दी जाती है। (हस्ता)

कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.)

नीलाम विज्ञापन

सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल के अधीनस्थ काष्ठागार जनकपुर में उपलब्ध पुराना इमारती काष्ठ एवं पुराना जलाऊ काष्ठ का दर्शित तिथि व समय में ई-ऑक्शन द्वारा निवर्तन किया जाना है. इच्छुक व्यापारी ई-ऑक्शन में अवश्य भाग लेवें. ई-ऑक्शन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार जनकपुर से प्राप्त कर सकते हैं.

डिपो का नाम :- काष्ठागार जनकपुर
नीलाम दिनांक :- 31-07-2026
नीलाम समय :- प्रात: 09.00 बजे से प्रारम्भ

क्र.	प्रजाति	नये अविक्रित काष्ठ		पुराने अविक्रित काष्ठ			
		लट्ठा	बल्ली	लट्ठा		बल्ली	
		घ.मी.	नग	नग	घ.मी.	नग	घ.मी.
1.	सागौन	0.000	0	235	14.787	3652	39.367
2.	साल	180.000	200	10861	1258.474	1350	42.422
3.	साजा	0,250	0	15	1.275	1	0.022
4.	धावड़ा	0.000	0	11	0.960	1	0.017
5.	हल्दू, मुंडी, बांसा	0.000	0	2	0.087	0	0.000
6.	नीलगिरी	0.000	0	0	0.000	560	2.993
	योग :-	**180.250**	**200**	**11124**	**1275.583**	**5564**	**84.821**
7.	मिश्रित जलाऊ	80 चट्ठा पुराना					
	योग :-	**80 चट्ठा पुराना**					

टीप :- 1. क्रेता को ई-ऑक्शन के पूर्व MSTC E-commerce पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है.
2. क्रेताओं को ई-ऑक्शन के पूर्व क्रय लॉटों के अपसेट प्राइज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है. सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर 15 प्रतिशत E.M.D. की राशि जमा करना अनिवार्य है.
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो MSTC E-commerce पोर्टल में अपने आई.डी. से लॉगइन करके देख सकते हैं.

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़

262702230/4

SMFG Grihashakti
Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

कार्पोरेट आफिस : 503 एवं 504, पांचवी मंजिल, जी ब्लॉक, इन्सीप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (ई) मुंबई- 400051

रजि. आफिस : कमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नं. 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पुरुर, चेन्नई-600116, चमिलनाडु

डिमांड नोटिस

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम')

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया है. अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस(ओं) की विषयवस्तु नीचे उद्धृत की गई है :-

क्र.	ऋण खाता संख्या एवं नाम उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता संपत्ति धारक जैसा भी मामला हो	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (बंधक संपत्ति)	डिमांड नोटिस तिथि 13/2 के तहत और कुल बकाया
1.	**LAN : 604239212139479** **1. राहुल शर्मा** **2. साधना शर्मा** **पता:** मकान संख्या 26, ग्राम अहमदपुर पोस्ट चरगावां अहमदपुर, जबलपुर-482 003	वह पूर्ण और आंशिक संपत्ति जो मौजा गढ़ा, एन.बी. 599, पी.एच. संख्या 6, आर.एन.एम. जबलपुर, खसरा संख्या 125/5 का भाग, निजी प्लॉट संख्या बी-20, महाराणा प्रताप वार्